रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D.—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1986 (फाल्गुन 10, 1907)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1986 (PHALGUNA 10, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	219
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	243
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	195
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	8297
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	155
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्यथा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	203
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	35
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	219
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	243
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	195
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8297
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	155
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	203
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	35
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1986

सं० 16-प्रैस/86—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1 श्री राजपाल, (मरणोपरान्त)
पुत्र श्री राम चन्द्र,
ग्राम रिठाल,
तहसील गोहाना,
जिला सोनीपत,
हरियाणा ।

25 मार्च, 1985 को तीन बच्चे अर्थात सुनीता, सुमित्रा और पवन कुमार केनाल रैस्ट हाउस, रिठाल, के नजदीक अपने पशु चरा रहे थे । वे पानी पीने के लिए नहर के किनारे पर गए । पानी पीते समय सुनीता का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गई । तत्काल, उसने सुमित्रा की टांग पकड़ लीं । इसके परिणामस्वरूप, सुमित्रा भी नहर में गिर गई । उसने भी तत्क्षण पवन कुमार की टांग पकड़ लीं जिससे वह भी नहर में गिर गया । सभी तीनों बच्चे अपने जीवन की रक्षा के लिए हाथ-पैर मार रहे थे और सहायता के लिए बड़ी आतुरता से चिल्ला रहे थे ।

श्री राजपाल ने, जो कि घास का बोझ उठाए पास से गुजर रहे थे, उनके चिल्लाने की आवाज सुनी और घटना स्थल की ओर दौड़े बच्चों को डूबता देखकर वे तत्काल नहर में कूद पड़े । वे सुमित्रा तथा पवन कुमार को पकड़ने में सफल हो गए और उन्होंने किनारे पर ले आये । वे सुनीता को बचाने के लिए दुबारा नहर में कूद पड़े, किन्तु वह बुरी तरह उनसे लिपट गई और वे दोनों नहर में डूब गए ।

श्री राजपाल ने इस प्रकार असहाय बच्चों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया और इस कार्य में स्वयं अपनी जान गवां दी ।

2. श्री रमेश चन्द्र चौधरी,
प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला आपूर्ति कार्यालय,
जोधपुर,
राजस्थान ।

3 अप्रैल, 1983, को श्री रमेश चन्द्र चौधरी ने, जो जयपुर के दौरे पर थे, डा० भट्टाचार्य के घर में गैस-सिलिन्डर को आग पकड़ते हुए और पांच व्यक्तियों को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा । अपनी स्वयं की जान के गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए, वे तत्काल डा. भट्टाचार्य के घर में घुस गय, उन्होंने जलते हुए सिलिन्डर को उठा लिया और उसे घर से बाहर फैंक दिया । इस कार्य में उन्हें 30 प्रतिशत जलने के घाव हो गए । अपने गंभीर घावों के बावजूद, श्री रमेश चौधरी बुरी तरह जले हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले गए, जहां आग के शिकार हुए व्यक्तियों की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई । यदि श्री चौधरी ने डा० भट्टाचार्य के घर जलते हुए गैस के सिलिन्डर को बाहर फैंकने में समय पर कारवाई न की होती तो आग पड़ोस के छह घरों में फैल गई होती जिससे जान तथा माल की भारी हानि होती ।

श्री रमेश चन्द्र चौधरी ने आग के शिकार हुए व्यक्तियों की, जिनकी दुर्भाग्यवश बाद में, उनके जख्मों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जान बचाने में स्वय अपनी जान को होने वाली खतरे की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

3. श्री धुर्जे नाथ उर्फ धूरज बंगाली,
गांव सिंगारिया,
डाकिली उर्रा,
तहसील नानपाड़ा,
जिला बहराइच,
उत्तर प्रदेश ।

12 सितम्बर, 1983, को 15 व्यक्ति असम रोड़ पहुंचने के लिए सिंगारिया की एक झील में, जोकि बाढ़ के पानी से पूरी भरी हुई थी, एक देसी नाव में यात्रा कर रहे थे । भंवर में फंस जाने के कारण, नाव अचानक उलट गई और उसमें बैठे सभी व्यक्ति झील में डूबने लगे । इस दुर्घटना को देखकर, श्री धुर्जनाथ एक केले के पेड़ के तने की सहायता से घटना स्थल पर पहुंच गए । वे घटना स्थल तक एक छोटी नाव लाने में भी सफल हो ए । इसके बाद, उन्होंने झील में डुबकी लगाई और वे डूबते हुए 15 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों को बाहर निकाल लाए और उनकी जान बचा ली । किन्तु पांच व्यक्तियों को जिनमें क महिला और चार बच्चे थे, बचाया नहीं जा सका और विडम्बना से मृतकों में एक मृतक श्री धुर्जनाथ का 3 वर्ष का बच्चा था ।

श्री धुर्जनाथ ने डूबते हुए दस व्यक्तियों की जान बचाने में स्वयं अपनी जान को होने वाले खतरे की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया और निस्वार्थ सेवा की ।

4. लान्स नायक लोनी माओ (नं० 4359222),
1 असम रेजिमेंट,
मार्फत 99 ए० पी० ओ० ।

29 फरवरी, 1994, को असम रेजिमेंट के फेमिली-क्वाटरों के सेप्टिक टैंक में एक वर्ष का एक बच्चा गिर गया । सेप्टिक टैंक काफी बड़ा था और मल से पूरा भरा हुआ था । कुछ महिलाओं ने चीखना चिल्लाना शुरु कर दिया, जिससे लान्स नायक लोनी माओ घटनास्थल पर पहुंचे । वे तुरन्त मैन-होल के जरिए टैंक में घुस गए और उन्होंने अपने पांवों और हाथों की सहायता से बच्चे को ढूंढने की कोशिश की । क्योंकि वे मल की ऊपरी सतह पर बने रहने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, इसलिए वे लट्ठों के लिए चिल्लाए, जो तत्काल दे दिए गए । पानी के नीचे लगभग 15 फुट तक तैरने के बाद, उन्हें बच्चे की टांगें मिल गई । उन्होंने तत्काल बच्चे की टांगें पकड़ ली और लट्ठे की सहायता से तैर कर बाहर निकलने के स्थान तक पहुंचे । उन्होंने समय पर बच्चे का प्राथमिक उपचार किया और उस बच्चे को उठाए हुए, वे दौड़ कर लगभग 800 गज की दूरी पर स्थित यूनिट के मिलिटरी ट्रांसपोर्ट गैराज में पहुंचे जहां बच्चे को डाक्टरी सहायता के लिए जाने के वास्ते एक गाड़ी का प्रबन्ध किया गया । इस प्रकार, बच्चे की जान बचा ली गई ।

लान्स नायक लोनी माओं ने, डूबने से बच्चे की जान बचाने में स्वयं अपनी जान को खतरे में डाल कर उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

सं० 17-प्रेजे/86—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1 मास्टर अम्ब्रोस,
बडमी कुप्पा गांव,
अन्तरसान्या होबली,
एच० डी० कोट,
मैसूर जिला,
कर्नाटक ।

2. मास्टर मुरुगन,
बडमी कुप्पा गांव,
अन्तरसान्या होबली,
एच० डी० कोट,
मैसूर जिला,
कर्नाटक ।

16 फरवरी, 1984 को काबिनी नदी के पश्च जल में एक नाव भीमनाकोल्ली से बडमी कुप्पा आ रही थी, जिसमें 10 व्यक्ति सवार थे । इन दोनों के बीच लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और कुछ स्थानों पर जल की गहराई 60 फुट से 70 फुट तक है । अचानक नाव उलट गई और उस पर सवार व्यक्तियों में से सात व्यक्ति तत्काल डूब गए और तीन व्यक्ति अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे । यह दृश्य एक विकलांग बच्चे मास्टर अम्ब्रोस और मास्टर मुरुगन ने देखा जो एक देशी नाव में घूम रहे थे । मास्टर अम्ब्रोस और मास्टर मुरुगन अपने जीवन को काफी खतरा देखते हुए भी अपनी नाव में घटनास्थल पर तेजी से पहुंचे और उन्होंने डूब रहे तीन व्यक्तियों को बचा लिया और वे उन्हें किनारे पर ले आए ।

मास्टर अम्ब्रोस और मास्टर मुरुगन ने अपने जीवन को खतरे में डालकर डूबते हुए तीन व्यक्तियों का जीवन बचाकर उत्कृष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

3. श्री डोड्डतिम्मैया,
स्टाफ क्वार्टर्ज सी–2,
गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा कम्पलेक्स,
नं० 1 व 2, अन्नास्वामी मुदलियार रोड,
बंगलौर–560042 ।

24 जुलाई, 1984, को नौवीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र मास्टर आर० मोहन, जब वह उल्सूर झील के पश्चिमी किनारे के साइड बंध के पैरापेट वीवार पर चल रहा था, अपने स्कूल के बस्ते के साथ जिसमें पुस्तकें थीं तथा जो उसकी गर्दन में पड़ा हुआ था, 12 फुट की ऊंचाई से अचानक झील में गिर पड़ा और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगा । वह बहकर किनारे से लगभग 40 फुट की दूरी पर चला गया । यद्यपि घटनास्थल पर लगभग 25 से 30 व्यक्ति जमा हो गए थे, किन्तु किसी ने भी लड़के को बचाने का साहस नहीं किया । गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा संगठन के एक डिस्पैच राइडर, श्री डोड्डतिम्मैया को, जो वहां से होकर जा रहे थे, लोगों से इस घटना के बारे में पता चला । वे डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए अपनी वर्दी सहित बिना कोई समय गंवाए तत्काल झील में कूद पड़े । वे तैर कर गन्तव्य स्थान तक गए और उन्होंने लड़के को मजबूती से पकड़ लिया जो बुरी तरह उनसे लिपट गया जिससे लड़के की तथा श्री डोड्डतिम्मैया की सुरक्षा प्रायः असंभव हो गई थी । वह अपने जीवन को होने वाले खतरे की परवाह किए बिना तैरकर 40 फुट की दूरी तय करके लड़के को किनारे पर ले आए ।

श्री डोड्डतिम्मैया ने अपने जीवन को होने वाले खतरे की परवाह किए बिना डूबते हुए लड़के को बचाने में उत्कृष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

4. श्री एच० नगेशी,
अध्यापक,
नर्मी,
श्रृंगेरी तालुक,
चिकमगलूर जिला
कर्नाटक ।

16 अप्रैल, 1984, को श्री आर० गंगालक्कैया, जो अपने परिवार के साथ श्रृंगेरी स्थित शारदा मन्दिर की यात्रा पर थी, तुंगा नदी में स्नान करते समय भंवर में फंस गए । उनका भतीजा श्री रावनसिद्दैया भी, जो उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा था, भंवर में फंस गया । दोनों अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगे । डूबते हुए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों ने चिल्लाना शुरु कर दिया जिससे एक अध्यापक व होमागार्ड श्री एच. नगेशी का ध्यान इस ओर गया जो नदी के तट पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे । श्री नगेशी तत्काल नदी में कूद पड़े और तैरकर उस स्थान पर पहुंच गए । यह महसूस करके कि वे उस स्थान पर, जहां कि लगभग 20-25 फुट गहरा पानी था, स्वयं भंवर के खतरे में पड़ सकते थे, श्री नगेशी ने अपनी धोती उतार कर और उसके दूसरे छोर को भंवर के किनारे से डूबते हुए व्यक्तियों की ओर फेंक कर बचाव कार्य सावधानी पूर्वक किया और उन्हें खतरे के स्थान से बाहर खींच लिया । उस समय तक वे दोनों व्यक्ति लगभग बेहोश हो गये थे । श्री नगेशी तैरने के कामचलाउ साधन (बांस की चटाई) से उन दोनों को किनारे पर ले आए और उनका प्राथमिक उपचार किया ।

इस प्रकार श्री एच० नगेशी ने स्वयं जीवन को होने वाले खतरे की परवाह न किये बिना दो व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

5. श्री पी० डिककुदियिलकतु शंकरन नायर शिवशंकरन कुट्टी,
प्रिवेन्टिव अफसर,
एकसाइज रेंज कार्यालय,
कोटमंगलम,
एर्नाकुलम जिला,
केरल ।

22 मई, 1984 को श्रीमती बी बी अपने तीन छोटे बच्चों के साथ पलियातु कडवु नामक स्थान पर कोटमंगलम नदी पार कर रही थी जहां नदी के पूरे पाट पर में पार की जा सकने वाली थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चट्टानें हैं जिनका ऊपरी हिस्सा पानी की सतह से ऊपर रहता है तथा जिनकी सहायता से स्थानीय जनता नदी को पार करती है । नदी पार करते समय श्रीमती बी बी का एक बच्चा चट्टान से फिसल कर नदी में गिर गया जहां पानी की गहराई लगभग 3 मीटर थी और जहांपानी का बहाव भी तेज था । बच्चे को बचाने के प्रयास में मां नदी में कूद पड़ी और ऐसा करते समय, अन्य दो बच्चे भी जो अपनी मां के साथ लिपटे हुए थे, नदी में गिर पड़े । पानी की तेज धारा सभी चारों को 5–8 फुट तक बहा ले गयी और वे पानी में डूबने लगे ।

श्री शिवशंकरन कुट्टी ने, जो संयोगवश वहां पर स्नान कर रहे थे, जल सतह के ऊपर असहाय व्यक्तियों के सिर देखे जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे । अपनी जान के खतरे की परवाह किये बिना वे तत्काल नदी में कूद पड़े, उनकी ओर लगभग पन्द्रह मीटर तैरकर गये, उन्हें पकड़ लिया और नदी के किनारे पर ले आए ।

श्री पी० डिककुदिदियलकतु शंकरन नायर शिवशंकरन कुट्टी ने अपनी जान को होने वाले खतरे की परवाह किये बिना डूबते हुए चार व्यक्तियों की जान बचाने में अत्यधिक साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

6. श्री चौथ्या,
गांव तथा डाकखाना ओंकारेश्वर,
थाना मानधाता,
तहसील खालवा,
जिला पूर्वी निमाड
मध्य प्रदेश ।

श्री चौथ्या ओंकारेश्वर गांव के एक मल्लाह हैं जो कि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक तीर्थ स्थान है जहां देश के सभी भागों से लोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आते हैं । इस स्थान पर नदी का जल बहुत गहरा है और पानी में डूबने की घटनाएं आम होती रहती हैं । एक ऐसी घटना से प्रभावित होकर, जो 17 अगस्त, 1983, को हुई थी जिसमें एक व्यक्ति डूबकर मर गया था, श्री चौथ्या ने ऐसी घटनाओं के शिकार व्यक्तियों की जान बचाने के लिए एक अच्छे तैराक के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल करने का संकल्प किया । उस दिन से 28 जुलाई, 1984, तक उन्होंने 42 व्यक्तियों की जानें बचाई हैं ।

इस प्रकार, श्री चौथ्या अपने जीवन को होने वाले खतरे की परवाह किये बिना अनेक व्यक्तियों की डूबन से जानें बचाने के लिए साहस और तत्परता का परिचय देते आ रहे हैं ।

7 श्री दीपल्वन,
मार्फत जिला कमाडेंट,
गृह रक्षक,
बैतुल,
मध्य प्रदेश ।

25 मार्च, 1984, को 15 वर्षीय कुमारी द्रोपदी ने आत्महत्या करने के प्रयास में 50 फुट गहरे कुएं में छलांगलगा दी जिसमें 15 फुट गहरा पानी था । पास स्थित जिला कमाडेंट, गृह रक्षक, बैतुल, के कार्यालय के चौकीदार ने इस घटना को देखा और उसने शोर मचाया । उसकी आवाज सुनकर सैनिक दीपल्वन तेजी से कुएं की ओर दौड़े और उन्होंने डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए बिना समय गंवाए कुएं में छलांग लगा दी । कुएं की तलहटी पर पहुंचकर उन्होंने लड़की को पकड़ लिया और कुएं के अंदर ही बाहर की निकली हुई एक ईंट का सहारा लेते हुए वे इस लड़की को पानी की ऊपरी सतह पर ले आये । इस बीच कुछ और लोग कुएं पर जमा हो गए और उन्होंने कुएं में एक रस्सा डाल दिया जिसकी सहायता से उस लड़की तथा उस बहादुर सैनिक को बचा लिया गया । इस कार्य में सैनिक दीपल्वन को कुछ चोटें आयीं । कुमारी द्रोपदी ने जो पानी निगल लिया था उसे बाहर निकालने के लिए भी सैनिक ने तुरन्त उसका प्राथमिक उपचार किया ।

श्री दीपल्वन ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए लड़की को कुएं में डूबने से बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

8. मास्टर समीर सिंह उर्फ सोनू,
पुत्र डा० दिलीप सिंह,
डेंटल सर्जन, पी० डब्ल्यु० डी०,
क्वार्टर नं० 9, ब्लाक कालोनी कुक्षी,
जिला धार–454331 (मध्य प्रदेश) ।

18 जून, 1984, को मास्टर समीर सिंह आयु 6 वर्ष, हरीश पटिदार आयु 2.5 वर्ष और पिंकु जैन, आयु 4 वर्ष के साथ ब्लाक कालोनी, कुक्षी के पीछे खेल रहा था, जहां सरकारी क्वार्टर बन रहे थे । वहां पानी से भरा हुआ 7 फुट गहरा एक सेप्टिक टैंक था जिसे निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक पानी जमा रखने के लिए बनाया गया था । खेलते हुए बालक हरीश पटिदार उस सेप्टिक टैंक में फिसल गया । उस समय समीर सिंह और पिंकु जैन के अलावा वहां और कोई नहीं था । समीर सिंह ने हरीश पटिदार को पानी में डूबते हुए देखा । समीर सिंह ने दौड़कर पानी में संघर्ष करते हुए हरीश पटिदार का हाथ पकड़ लिया और तब जोर लगाकर उसे उस सेप्टिक टैंक से बाहर खींच लिया और उसकी जान बचायी । बचाव कार्य करते समय उसके पानी में गिरने और डूब जाने की हर संभावना थी ।

इस प्रकार, मास्टर समीर सिंह उर्फ सोनू ने अपनी जान के जोखिम की परवाह किये बिना डूबते हुए बालक की जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

9. श्री देवराव कासम राठौड़,
गांव चिचगांव,
तालुक नेर,
जिला यवतमाल,
महाराष्ट्र ।

10 अगस्त 1984 को श्रीमती कमला तारदेव निकोदे के पति ने शराब के नशे में उसे मार डालने के इरादे से गांव के ही 17½ फुट गहरे कुएं में धकेल दिया जिसमें 9 फुट पानी था । श्री निकोदे ने भी कुएं में छलांग लगा दी और उसके सिर को पानी में डूबा दिया ताकि वह डूब जाए । उस महिला की चीख-पुकार सुनकर श्री देवराव कासन राठौड़ तथा गांव के अन्य लोग कुएं पर आ गए । श्री राठौड़ ने फौरन कुएं में छलांग लगा दी और डूबती हुई औरत को पकड़ लिया । उस शराबी आदमी ने श्रीमती कमला को बचाने की कोशिश को नाकामयाब बनाने की कोशिश की और उनकी झड़प भी हो गई । आखिरकार, श्री राठौड़ ने श्री निकोदे पर काबूपा लिया और उस महिला को कुएं में फेंकी गई उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने को कहा जिसका एक सिरा पुली स्टैंड से बंधा हुआ था जो कुएं के ऊपरी हिस्से पर बनी परापेट दीवार में लगी हुई थी । श्रीमती कमला बहुत थक जाने के कारण ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी और श्री राठौड़ ने उसे सहारा देते हुए कुएं से बाहर निकलने में मदद की । एक व्यक्ति श्री किशन शिवाजी ठाकुर ने कुएं के पूली स्टैंड की मदद से अपने आपको कुएं में उतारा । श्रीमती कमला ने उसकी टांगो को पकड़ लिया और वह कुएं पर एकत्र अन्य लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकल आई ।

श्री देवराज कासन राठौड़ ने कठिन परिस्थिति में अपनी जान को गंभीर खतरे की परवाह न किए बिना श्रीमती कमला को डूबने से जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

10 नायक पातरे शिवाजी कुंडलिक, (नं० 2768573),

14 मराठा लाइट इन्फैंट्री,
मार्फत 56, ए० पी० ओ० ।

11 अगस्त, 1984, को कुमारी सुदेश कांबले नामक एक लड़की मुला नदी में गिर पड़ी जिसमें मानसून के कारण भारी बाढ़ आई हुई थी । लगभग 590 व्यक्ति नदी के किनारे खड़े असहाय होकर लड़की को डूबते हुए देख रहे थे । 14 मराठा लाइट इंफैंट्री के नायक पातरे शिवाजी कुंडलिक को, जो ड्यूटी पर थे और सैनिक वाहन में मुला नदी के संकरे पुल को पार कर रहे थे, इस घटना का पता लगा । वे अपनी फौरन वाहन से उतर पड़े और उन्होंने पूरी वर्दी समेत पुल से नदी में छलांग लगा दी । तेज धारा जैसी भारी कठिनाइयों के बावजूद, नायक पातरे शिवाजी ने उफनती नदी में डूबती हुई लड़की की जान बचा ली ।

नायक पातरे शिवाजी कुंडलिक ने अपने जीवन के खतरे की परवाह किये बिना डूबती हुई लड़की की जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

11 श्री प्रकाश तुकाराम पन्हाले,
मुकंदराज सोसायटी,
अम्बेजोगई,
तालुक अम्बेजोगई,
जिला बीड़ ।
महाराष्ट्र ।

12. श्री सुभाष यशवंतराव कुलकर्णी,
पुलिस स्टेशन अम्बेजोगई,
जिला बी ,
महाराष्ट्र ।

17 मई, 1984, को शेख खैरुद्दीन (7 वर्ष) नाम का एक लड़का और उसकी बहन फातुनबी (12 वर्ष) एक मियांभाई के खेत में अपनी बकरियां चरा रहे थे कि लड़का अचानक उस कुएं में जा गिरा जो उस खेत में था और डूबने लगा ।

श्री प्रकाश तुकाराम पन्हाले और श्री सुभाष यशवंतराव कुलकर्णी, पुलिस कांस्टेबल, ने, जो पास के मकानों में रहते हैं उस बच्ची की चीख पुकार सुनी और फौरन दौड़कर वहां आ गए । कुएं के इर्दगिर्द कई लोग जमा हो गए थे परन्तु उनमें से किसी ने भी लड़के को बचाने की हिम्मत नहीं की । कुआं इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था और पानी काफी गहरा था । लड़का दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पानी साफ नहीं था । श्री सुभाष कुलकर्णी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में छलांग लगा दी और लड़के की तलाश शुरु कर दी । उन्हें लड़के को ढूंढने में काफी कठिनाई महसूस हुई और उन्होंने मदद के लिए पुकार की । श्री प्रकाश तुकाराम पन्हाले ने फौरन कुएं में छलांग लगा दी और श्री सुभाष कुलकर्णी के साथ पानी में गहरे उतर गये । उन्होंने लड़के को ढूंढ निकाला, लड़का तब तक बेहोश हो चुका था । वे उसे पानी से बाहर ले आए और उन्होंने उसका प्राथमिक उपचार किया ।

श्री प्रकाश तुकाराम पन्हाले और श्री सुभाष कुलकर्णी ने अपने जीवन के खतरे की बिल्कुल परवाह किये बिना डूबते हुए लड़के की जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

13. कुमार शिवजीत सिद्धू,
26, क्वीन्स गार्डन,
पुणे- 411001

20 मई, 1984, को कुमार समीर कोटनीस, आयु 10 वर्ष, पुणे क्लब के स्विमिंग टैंक में गिर गया और नीचे तह में चला गया । टैंक में पानी का स्तर 10.5 फुट गहरा था । उस समय कुमार शिवजीत सिद्धू और अन्य लोग टैंक में तैर रहे थे । इस घटना को देखकर, कुमार सिद्धू ने नीचे तह में डुबकी लगाई और उसे वहां पड़ा पाया । उसने बच्चे को पानी की ऊपरी सतह पर लाने की कोशिश की परन्तु अपनी छोटी उम्र के कारण वह सफल न हो सका । वह फौरन पानी के उपर आया और सहायता के लिए पुकार की । तब अन्य लोगों और एक अध्यापक की सहायता से उसने बेहोश बच्चे को बचा लिया ।

कुमार शिवजीत सिद्धू ने अपने जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में डालकर कुमार समीर कोटनीस की जान बचाने में सूझबूझ, साहस तथा तत्परता का परिचय दिया ।

14. श्री बंवर लाल, (मरणोपरान्त)
पुत्र श्री मंगल चन्द्र चौधरी,
लेबर कालोनी,
कालेज रोड़,
ब्यावर,
(राजस्थान)

1 जून, 1984, से 15 जून, 1984 तक की अवधि के दौरान ब्यावर बाल विकास समिति के तत्वावधान में माउंट आबू में एक शैक्षिक शिविर का आयोजन किया गया था । सरकारी पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर, की 10वीं कक्षा के विद्यार्थी और प्रेजिडेंट स्काउट, श्री बंवर लाल शिविर में भाग लेने वालों में से एक थे । एक दिन शिविर में उपस्थित कुछ छात्र स्नान करने के लिए नक्की झील पर गए और उनमें से तीन फिसल गए और झील में गिर गए । वे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और डूब रहे थे । यह देख कर श्री बंवर लाल तत्काल झील में कूद पड़े और डूब रहे असहाय व्यक्तियों को एक-एक करके बचाया । दुर्भाग्यवश श्री बंवरलाल के किनारे पर पहुंचने से पहले उसे किसी छात्र का पैर की टक्कर लगी और और वे लड़खड़ा कर झील में गिर पड़े । थकान के कारण वे अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सके और डूबने लगे । उस स्थान पर एकत्र भीड़ में से एक व्यक्ति झील में कूदा और वह श्री बंवर लाल को किनारे पर ले आया । उनका शीघ्र प्राथमिक उपचार किया गया परन्तु उनका जीवन बचाया नहीं जा सका ।

श्री बंवर लाल ने तीन व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया परन्तु ऐसा करते हुए उन्होंने स्वयं अपने जीवन का बलिदान कर दिया ।

15. श्री गुरदेव सिंह,
जी/37622-वाई पायनियर,
71, सड़क निर्माण कम्पनी (जी० आई० ई० एफ०),
मार्फत 99 ए० पी० ओ० ।

18 अप्रैल, 1984, को 18.00 बजे एक विहाड़ी मजदूर, श्री लंका मैन दक्षिण मिजोरम में 500 फुट गहरी घाटी में लांगथलाई विल्तलांग-पर्वा सड़क पर गिर गया । यह क्षेत्र घना जंगल है जिसमें सांप और जंगली जानवर रहते हैं । पायनियर गुरदेव सिंह जो एक वाहन में बैठे पास से गुजर रहे थे, इस घटना को देखा और उन्होंने स्वयं को और उक्त वाहन में बैठे पांच मजदूरों को मिलाकर एक बचाव दल बनाया । वे संभावित खतरों की परवाह किए बिना पांच अन्य व्यक्तियों के साथ नीचे गहरीघाटी में गये और उन्होंने गिरे हुए व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से ढूंढा जो सिर में आई गंभीर चोटों के कारण बेहोश पड़ा हुआ था । श्री गुरदेव सिंह ने घायल व्यक्ति को वापस सड़क पर ले जाने के लिए अपनी पगड़ी का उपयोग किया जहां पर उसका डाक्टरी उपचार किया गया । परन्तु दुर्भाग्यवश श्रीलंका मैन की चोटों के कारण मृत्यु हो गई ।

पायनियर गुरदेव सिंह ने, स्वयं अपनी सुरक्षा को खतरा होते हुए गहरी घाटी से एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करते हुए अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

16. श्री संपत बाघ,
जी० आर० ई० एफ० सं० 156842,
मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर,
574, इंडिपेंडेंट प्लाटून,
(जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स),
मार्फत 99 ए० पी० ओ०

3 मई, 1984, को जी० आर० ई० एफ० का एक वाहन, जिसे एम० टी० ड्राइवर मोहन लाल चला रहा था और जिसमें तीन और कार्मिक बैठे हुए थे, फुरखलन के लिए लखबीर नामक एक खतरनाक स्थान पर सड़क के स्तर से लगभग 165 फुट नीचे तीस्ता नदी में गिर गया । उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी और घना अंधेरा था ।

थोड़ी देर बाद, एम० टी० ड्राइवर संपत सिंह द्वारा चलाया जा रहा जी० आर० ई० एफ० का एक अन्य वाहन उस स्थान पर पहुंचा जिसमें 5 और व्यक्ति बैठे हुए थे । दुर्घटना से देखकर श्री संपत बाघ ने अपना वाहन फुरखलन वाले स्थान पर रोक दिया, तब उन्होंने अपने वाहन के सामने सड़क पर खड़ा एक अन्य मिक्सिल ट्रक देखा क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका । कुछ समय के बाद श्री संपत बाघ ने वापस जाने के लिए अपना वाहन पीछे किया ।

सिविल ट्रक भी पीछे मुड़ा और तेजी से चला गया । वाहन पीछे करते समय श्री संपत वाघ ने भूस्खलन क्षेत्र में नीचे नदी में रोशनी देखी जो किसी वाहन की हैड लाईट से निकलती लगती थी । वे अपने वाहन से उतर पड़े, अपनी टार्च ली और उन्होंने नदी में पड़े वाहन को ढूंढने की कोशिश की । वाहन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वे सड़क से नीचे गये और उन्होंने वाहन को नदी में गिरा हुआ पाया । वे यह जानने के लिए बार-बार जोर से चिल्लाये कि क्या उस अभागे वाहन में कोई व्यक्ति जिन्दा है और कुछ समय बाद वे बचाने के लिए याचना करती हुई बिल्कुल हल्की आवाज सुन पाये ।

इसी समय सिलीगुड़ी जाने वाला एक सिविल ट्रक वहां पहुंचा और श्री वाघ ने उसके ड्राइवर से हैड लाईट नदी की ओर करने का अनुरोध किया ताकि नदी में गिरे हुए वाहन को ठीक तरह से देखा जा सके । सिविल ट्रक ड्राइवर ने सभी संभव सहायता दी और एक रस्सा भी दिया जिसका एक हिस्सा श्री वाघ ने अपने वाहन से बांध दिया और दूसरा हिस्सा नदी की तरफ फेंक दिया । घायल व्यक्तियों को नदी में से बचाने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए उन्होंने सी० आर० पी० के एक वाहन के ड्राइवर से भी अनुरोध किया जो इस बीच वहां पहुंचा था । सी० आर० पी० के कार्मिकों द्वारा उचित सहायता प्रदान किये जाने के बाद श्री वाघ पहाड़ी के सीधे ढलान से नदी की ओर नीचे उतरे और ऐसा करते हुए वह फिसले और गिर गये परन्तु नदी में गिरने से बाल-बाल बच गये । पूरी तरह से खोज करने पर वह गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को ढूंढ पाये जिन्हें वापस सड़क पर ले आये । उनमें से एक व्यक्ति चोटों के कारण बाद में मर गया । श्री वाघ द्वारा भरसक प्रयत्न किये जाने के बावजूद एम०टी० ड्राइवर मोहन लाल का पता नहीं लग पाया क्योंकि वह संभवतः नदी में बह गया यदि श्री संपत वाघ द्वारा समय पर बचाव कार्रवाई न की गई होती तो उस अभागे वाहन में बैठे सभी व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे होते ।

श्री संपत वाघ ने अपने स्वयं के जीवन के गंभीर खतरे की बिल्कुल परवाह किये बिना उस अभागे वाहन में फंसे व्यक्तियों को बचाने में अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और तत्परता का परिचय दिया ।

17. नं० 13866874 सिपाही भगवान काशीनाथ पाटिल,
5231 ए० एम० सी०, बटालियन, (एम० टी०),
मार्फत 56 ए० पी० ओ० ।

12 जून 1984, को एक 2½ वर्षीय बच्चा गहरी और बर्फीली लार नहर में गिर गया जिसमें बाढ़ आई हुई थी । नहर के किनारे पर लगभग 100 ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी और उनमें से कुछ व्यक्ति सहायता के लिए चिल्लाते हुए बहते हुए बच्चे की ओर दौड़ रहे थे ।

सिपाही भगवान काशीनाथ पाटिल ने, जो अपने वाहन में उधर से जा रहे थे इस दर्दनाक दृश्य को देखा और अपनी पूरी वर्दी पहने हुए ही तत्काल नहर में कूद पड़े । वे डूबते हुए बच्चे की ओर लगभग 40 गज तैर कर गये और वे बच्चे को पकड़ने में सफल हो गये और उसे किनारे के निकट ले आए जहां गांव वालों ने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया । उस समय तक सिपाही पाटिल के पेट में कुछ पानी चला गया और वे बहुत थक गये थे । इसके परिणामस्वरूप वे नहर के किनारे नहीं आ सके और पानी का तेज बहाव उन्हें आगे और 30 गज तक बहा ले गया । तथापि, वे एक बार फिर नहर के किनारे पर पहुंचने में सफल हो गये और गांव वालों ने उन्हें पानी से बाहर खींच लिया ।

सिपाही भगवान काशीनाथ पाटिल ने स्वयं अपने जीवन को खतरे में डालकर बच्चे की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001 29 जनवरी, 1986

सं० 4/5/85-आर०सी०सी०---श्री मानवेन्द्र सिंह के समिति से त्यागपत्र देने के कारण हुए रिक्त स्थान पर अध्यक्ष महोदय ने श्री माधवराव सिंधिया को रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की पुनरीक्षा करने वाली समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये मनोनीत किया है ।

कृष्ण पाल सिंह, वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1986

संकल्प

सं० ए० 11019/1/86-प्रशा०-I--सरकार ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों से युक्त " प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद्" का गठन करने का निर्णय लिया है :--

1. प्रो० सी० एन० आर० राव	अध्यक्ष
2. प्रो० जे० वी० नार्लीकर	सदस्य
3. डा० पी० एन० टण्डन	सदस्य
4. प्रो० आर० नरसिंह	सदस्य
5. डा० ए० एस० गांगुली	सदस्य
6 डा० शेखर राहा	सदस्य
7. प्रो० माधव गाडगिल	सदस्य

डा० वी० सिद्धार्थ, जो इस समय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में कार्यरत हैं, परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. परिषद् एक परामर्शी निकाय होगी । यह प्रधानमंत्री को (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विद्यमान प्रमुख मामलों; (ख) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर और इसे अग्रसर करने की दिशा, एवं (ग) 2001 ई० के लिए परिप्रेक्षी योजना संबंधी विषयों पर सलाह देगी । परिषद् विभिन्न वैज्ञानिक विभागों की विशिष्ट समस्याओं पर, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उद्देश्य इत्यादि के लिए नीतियों, प्राथमिकताओं की जांच भी करेगी ।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परिषद् की व्यवस्था करेगा ।

4. आरम्भ में परिषद् की अवधि 2 वर्ष की होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली दिनांक, 6 फरवरी 1986

संकल्प

सं० 11/2/85-डैस्क "सी"/डेस्क "डी"--राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार, मंत्रिमंडल कार्य विभाग के इलैक्ट्रानिकी आयोग की स्थापना करने सम्बन्धी 1 फरवरी, 1971 के संकल्प सं० 26/7/70-इस सी में जिसे कि बाद में दिनांक 9 जुलाई, 1976 के संकल्प सं० 26/1/76-ईसी और मंत्रिमंडल सचिवालय के 11 नवम्बर, 1982 के संकल्प सं० 26/2/82-सीए-III और 9 जनवरी, 1985 के

संकल्प सं० 11/2/85-डेस्क "सी" द्वारा यथा संशोधित किया गया है, निम्नलिखित संशोधन किया जाए :--

पैराग्राफ 4(क) में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "आठ" प्रतिस्थापित किया जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाएं ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दीपक वासगुप्ता, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1986

संकल्प

फा०सं० ई-11011/20/85-रा० भा०--राजस्व एवं व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस विभाग के तारीख 20 नवम्बर, 1985 के संकल्प सं० ई-11011/20/85-रा० भा०, जो भारत के राजपत्र तारीख 14-12-85 के भाग 1, खण्ड 1 के पृष्ठ सं० 884 (अंग्रेजी) पर प्रकाशित हुआ था, के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :--

विद्यमान प्रविष्टि सं० "3--श्रीमती डी० के० तारादेवी, सदस्य, लोक सभा" तथा प्रविष्टि सं० "15-श्री यू० सी० अग्रवाल, प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात :--

"3. कुमारी डी० के० तारादेवी,
सदस्य, लोक सभा" तथा
"15. श्री म० सुब्रमणियम, प्रधान,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

ए० सी० सल्हाना, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1986

संकल्प

सं० 11011/21/85-हि०का०क०--वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 30 मार्च, 1985 के संकल्प संख्या 11011/2/85-हि०का० क० में, जो भारत के राजपत्र के 27-4-85 के अंक के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित हुआ था, की संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :--

1. क्रम संख्या 7 और 8 पर क्रमशः
सर्वश्री बी०बी० देसाई, संसद सदस्य और जागदम्बी प्रसाद यादव संसद सदस्य के नाम जोड़ लिए जाएं ।

उपर्युक्त दोनों सदस्यों को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वार्षिक कार्य विभाग (बैंकिंग और बीमा सहित) की हिन्दी सलाहकार समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है ।

2. उपर्युक्त संकल्प में क्रम संख्या 11 पर वर्तमान प्रविष्टि
"11. प्रो० कैलाश नाथ भाटिया" के स्थान पर कृपया "प्रो० कैलाश चन्द्र भाटिया" पढ़ा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक, लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्यों और भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश है कि सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे० एल० बजाज, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1986

सं० एफ० 10-3/85-यू०-5--भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के नियमों और संघ के ज्ञापन के नियम 3,6 तथा 10 के अन्तर्गत भारत सरकार एतद्द्वारा श्री एस०एस० वर्मा, सचिव, कल्याण मंत्रालय को कुमारी रोमा माजुमदार के स्थान पर उनकी शेष अवधि के लिए, अर्थात 19 दिसम्बर, 1986 तक परिषद् के एक सदस्य के रूप में नामजद करती है ।

एस० के० सेन गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1986

विषय :-- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में परामर्शदात्री समिति के गठन के संबंध में ।

सं० एफ० 8-14/85-डी-4 (भाषा)--केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को इसके कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाने में सलाह देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या एफ० 8-14/85डी०-4 (भा०) दिनांक 11 दिसम्बर, 1985 का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार समिति के गठन और कार्यकाल की प्रतिष्टि में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :--

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मामले क्योंकि गृह मंत्रालय से नये गठित कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिए गये हैं, अतः मद संख्या 12 की प्रतिष्टि में शब्दों को निम्नलिखित रूप में पुनः उल्लेख किया जाता है :--

"12. संयुक्त सचिव (जनजातीय विकास) कल्याण मंत्रालय"

2. इस मंत्रालय की दिनांक 11 दिसम्बर, 85 की संकल्प संख्या 8-14/85-डी०-4(भा०), में दी गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानस गंगोत्री, मैसूर, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों, प्रधान मंत्री जी के कार्यालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्यों से संबंधित मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली, लोक सभा, सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व सामान्य की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाये।

पी० के० मल्होत्रा, सहायक शिक्षा सलाहकार

वाणिज्य मंत्रालय

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं० पी०-3/26/2/75-पूर्ववर्ती और पुर्नवास मंत्रालय (पूर्ति विभाग) के दिनांक 3 जून, 1981 के संकल्प सं० पी०-3-26(2)/75 में निम्नलिखित आगामी संशोधन किए जाएं :—

"पैरा 1 में निम्नलिखित को, मद 7 (ख) के रूप में सम्मिलित किया जाए :—

7 (ख) राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन का एक प्रतिनिधि।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय क्रय सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी० एन० रामन, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1986

संख्या-क्यू 16012/1/85-डब्ल्यू०ई० (एन०एल०आई)—राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पुनर्गठन की अधिसूचना संख्या-क्यू-16012/1/85-डब्ल्यू०ई० (एन०एल०आई०) दिनांक 22-11-1985 द्वारा अधिसूचित किया गया।

अब उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित विलोपन परिवर्तन कर दिया जाए :—

1. क्रम संख्या 2 और उसका समक्ष की गई प्रविष्टि का विलोप कर दिया जाए।

2. क्रम संख्या 26 और 27 की वर्तमान प्रविष्टियों अर्थात् :

26. सचिव, गृह मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली।

27. सचिव,
ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :

26. सचिव,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली।

27. सचिव, कृषि मंत्रालय,
(ग्रामीण विकास विभाग), नई दिल्ली।

चिन्ना चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th February 1986

No. 16-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Rajpal (*Posthumous*)
S/o Ram Chander,
Village Rithal, Tehsil Gohana,
District Sonipat, Haryana.

On the 25th March, 1985, three children namely, Sunita, Sumitra and Pawan Kumar were grazing their cattle near the Canal Rest House, Rithal. They went to the bank of the canal to drink water. While drinking water, Sunita slipped and fell into the canal. Instantly she clutched at Sumitra's legs. Consequently Sumitra also fell into the canal. She in turn caught hold of Pawan Kumar's legs who too fell into the canal. All the three children were struggling for their lives and made frantic shouts for help.

Shri Rajpal, who was passing by carrying a load of grass, heard their cries and rushed to the site. On seeing the drowning children, he immediately jumped into the canal, managed to catch hold of Sumitra and Pawan Kumar and brought them ashore. He again jumped into the canal in order to save Sunita but she clung on to him in anawkward manner and both of them were drowned in the canal.

Shri Rajpal thus showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of the helpless children and in the process lost his own life.

2. Shri Ramesh Chandra Choudhury,
Enforcement Inspector,
District Supply Office,
Jodhpur, Rajasthan.

On the 3rd April, 1983 Shri Ramesh Chandra Choudhury, who was on a visit to Jaipur, noticed a gas cylinder in Dr. Bhattacharya's house catching fire and five persons engulfing in the flames. Unmindful of serious risk to his own life, he immediately rushed into Dr. Bhattacharya's house and picked up the burning cylinder and thew it out of the house. In the process he sustained 30% burns. Inspite of severe injuries to his person Shri Ramesh Choudhury took the badly burnt persons to the hospital where the victims succumbed to their injuries. But for the timely action of Shri Choudhury in throwing the burning gas cylinder out of Dr. Bhattacharya's house, the fire would have spread to the six neighbouring houses causing severe loss to men and material.

Shri Ramesh Chandra Choudhury displayed conspicuous courage and promptitude in rescuing the victims who unfortunately later succumbed to their injuries in the hospital unmindful of the risk involved to his own life.

3. Shri Dhurjnath allias Dhuraj Bengali,
Village Singaria, Dakhili Urra,
Tehsil Nanpara, District Behraich,
Uttar Pradesh.

On the 12th September, 1983, 15 persons were travelling in a country boat in a lake, which was full with flood water, in Singaria to reach Assam Road. Caught in a whirlpool, the boat suddenly turned turtle and all the occupants started drowning in the lake. On seeing the mishap Shri Dhurjnath reached the spot with the help of a trunk of a banana three. He also managed to bring a small boat to the site of accident. Then he died into the lake and brought out 10 out of the 15 drowning persons and saved their lives. However, lives of 5 persons, which included a woman and four children, could not be saved and ironically the 3 years old child of Shri Dhurjnath was one of the dead.

Shri Dhurjnath showed exemplary courage and promptitude and rendered selfless service in saving the lives of ten drowning persons regardless of risk involved to his own life.

4. Lance Naik Loni Mao (No. 4359222),
1 Assam Regiment,
C/O 99 APO.

On the 29th February, 1984, a one year child fell into a septic tank in the family quarters of 1 Assam Regiment. The septic tank was quite big and full of night soil. A hue and cry was raised by some women which drew Lance Naik Loni Mao to the site. He immediately entered into the tank through the man-hole and tried to search the child using his legs and hands. As he was finding it difficult to remain afloat he shouted for poles, which were immediately provided. After swimming for about 15 feet under water he found the child's legs. Immediately, he caught hold of the legs and swam with the help of the pole to the exit point. He rendered timely first aid to the child and ran carrying him for about 800 yards to the Military Transport Garage of the unit, where a vehicle was arranged to take the child for medical aid. Thus the life of the child was saved.

Lance Naik Loni Mao showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the child from drowning at the risk of his own life.

No. 17-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of Jeevan Raksha Padak to the following persons :—

1. Master Ambrose,
Badanikuppa Village,
Antarasanthe Hobli,
H. D. Kote,
Mysore District,
Karnataka.

2. Master Murugan,
Badanikuppa Village,
Antarasanthe Hobli,
H. D. Kote,
Mysore District,
Karnataka.

On the 16th February, 1984, a boat with 10 persons was coming from Bhimanakolli to Badanikuppa in the Kabini river backwater. The distance between the two places is around 4 kilometres and the depth of water in some places is 60 to 70 feet. Suddenly the boat capsized and seven of the occupants were drowned instantly and three were struggling for their lives. This was noticed by Master Ambrose, a physically handicapped boy, and Master Murugan, who were moving in a country boat. Inspite of considerable risk to their own lives, Master Ambrose and Master Murugan rushed to the spot of incident in their boat and saved the lives of the three drowning persons and brought them ashore.

Master Ambrose and Master Murugan showed exemplary courage and promptitude in saving three lives from drowning at the risk of their own lives.

3. Shri Doddathimmaiah,
Staff Quarters C-2,
Home Guards and Civil Defence Complex,
No. 1 & 2, Annaswamy Mudaliar Road,
Bangalore-560 042.

On the 24th July, 1984, Master R. Mohan, a 14 year student of ninth standard, while walking on the side bund parapet wall of the western bank of the Ulsoor Lake accidently fell into it from a height of 12 feet with his school bag containing books around his neck and was struggling for his life. He was swept away nearly 40 feet from the bank. Though about 25 to 30 persons assembled there to watch the incident none dared to save the boy. A Despatch Rider of Home Guards and Civil Defence Organisation, Shri Doddathimmaiah, who happened to be passing that way learnt about the incident from the people. He spared no time in jumping into the lake in his uniform in order to save the boy from drowning. He swam upto the spot and caught hold of the boy who clung to him in an awkward manner making both his and Shri Doddathimmaiah's safety almost impossible. He managed to bring the boy ashore covering the distance of 40 feet by swimming unmindful of risk involving to his life.

Shri Doddathimmaiah showed exemplary courage and promptitude in saving the boy from drowning disregarding the risk to his own life.

4. Shri H. Nageshi,
School Master, Namarki,
Sringeri Taluk,
Chickmagalur District,
Karnataka.

On the 16th April, 1984, Shri R. Gangalakkaiah, who was on a pilgrimage to Sharda Temple at Sringeri with his family, was caught in the whirlpool while bathing in Tunga river. His nephew Shri Ravanasiddaiah, who jumped into the river for rescuing him, was also caught in the whirlpool. Both of them struggled for their lives. A hue and cry was raised by the family members of the drowning persons which drew the attention of Shri H. Nageshi, a School teacher and Home Guard, who was on the bank of the river at a distance of about 200 metres. Shri Nageshi immediately jumped into the river, swam the distance and reached the spot. On realising the danger of getting himself into the whirlpool, where the depth of the water was about 20—25 feet, Shri Nageshi carefully handled the rescue act by removing his dhoti and stratching the other end towards the drowning persons, from the edge of the whirlpool and dragged them out from the dangerous spot. By that time both the victims had already lost their consciousness. Shri Nageshi carried both of them ashore with the help of an improvised floating aid (bamboo mat) and rendered them first aid.

Shri H. Nagshi thus displayed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons regardless of the danger posed to his own life.

5. Shri Peedikakudyvilakathu Sankaran Nair Sivasankarankutty,
Preventive Officer,
Excise Range Office,
Kothamangalam,
Ernakulam District,
Kerala.

On the 22nd May, 1984 Smt. Beevi was crossing the Kothamangalam river alongwith her three young children at Pallyathu Kadavu, where there are rocks rising above the water level separated by negotiable distances all through the entire width of the river which is taken advantage of by the local people to cross the river. While crossing the river one of her children slipped from a projecting rock and fell into the river where the water level was about 3 metres deep and also there was strong current. In an attempt to rescue the child, the mother jumped into the river and in the process the other two children who were clinging to her also fell into the river. All the four were drifted 5 to 8 metres downstream by the strong current and they began to drown in water.

Shri Sivasankarankutty, who happened to be there for bathing, saw the heads of the helpless persons above the water level struggling for their lives. He immediately jumped into the river regardless of the danger posed to his own life, swam towards them for about fifteen metres, caught hold of them and brought them to the bank of the river.

Shri Peedikakudyvilakathu Sankaran Nair Sivasankarankutty displayed immense courage and promptitude in saving the lives of four persons from drowning unmindful of the risk involved to his own life.

6. Shri Chouthya,
Village & P. O. Onkareshwar,
Police Station Mandhata, Tehsil Khandwa,
District East Nimar,
Madhya Pradesh.

Shri Chouthya is a boatman of Onkareshwar village, a pilgrimage centre on the northern banks of river Narmada, where people from all over the country come for performing religious rites. The water is very deep at the point of the river and incidents of drowning are quite common. Deeply moved by one such incident that occurred on the 17th August 1983, in which one person drowned to death, Shri Chouthya made a resolve to use his talents as a good swimmer to save the lives of vicitms of such incidents. Since that day till 28th July, 1984 he has saved 42 lives.

Thus, Shri Chouthya has displaced courage and promptitude in saving the lives of numerous persons from drowing unmindful of risk involved to his own life.

7. Shri Deepalvan
C/O District Commandant,
Home Guards,
Betul,
Madhya Pradesh.

On the 25th March, 1984, Kumari Draupadi, aged 15 years, jumped into a 50 feet deep well containing 15 feet deep water in an attempt to commit suicide. The incident was noticed by the chowkidar of the nearby Office of the District Commandant, Home Guards, Betul and an alarm was raised. On hearing the alarm, Sainik Deepalvan rushed towards the well and without losing any time jumped into it in order to rescue the drowning girl. Reaching the bottom of the well he caught hold of the girl and brought her to the water level supporting himself on a projected brick inside the well. In the meantime some other people collected around the well and a rope was lowered into the well with the help of which the girl and the brave Sainik were retrieved. In the process Shri Deepalvan received some injuries. Shri Deepalvan also promptly administer first aid to Kumari Draupadi to drain out the water swallowed by her.

Shri Deepalvan thus displayed exemplary courage and promptitude in saving the girl from drowning in the well with utter disregard to his own safety.

8. Master Sameer Singh alias Sonu
S/o Dr. Dilip Singh,
Dental Surgeon, P. W. D.
Qr. No. 9 Block Colony Kukshi
District Dhar-454 331,
Madhya Pradesh.

On the 18th June, 1984, Master Sameer Singh aged 6 years was playing with Harish Patidar aged 2.5 years and Pinkoo Jain, aged 4 years, behind Block Colony, Kukshi, where Government Quarter was under construction. There was one septic tank constructed to store water needed during construction work, which was 7 feet deep and full of water. While playing, child Harish Patidar slipped into the septic tank. At that time there was no body near the spot except Sameer Singh and Pinkoo Jain. Sameer Singh rushed, caught hold of the hand of Harish Patidar struggling in the water and then forcefully pulled him out of the septic tank and saved his life. While doing the rescue act there was every possibility of his falling into the water and being drowned.

Mater Sameer Singh alias Sonu thus showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning boy irrespective of the risk involved to his own life.

9. Shri Deorao Kasan Rathod
Village Chichgaon, Taluka Ner,
District Yavatmal,
Maharashtra.

On the 10th August, 1984, Shrimati Kamla Tordeo Nikode was pushed into the village well which was 17½ feet deep water by her husband under the influence of liquor with the intent to kill her. Shri Nikode also jumped into the well and pushed her head into water in order to drown her. The hue and cry made by the woman, drew Shri Deorao Kasan Rathod and other villagers to the well. Shri Rathod immediately jumped into the well and caught hold of the drowning woman. The drunken man resisted his attempts to save the life of Shrimati Kamla and an altercation also ensued. Ultimately Shri Rathod overpowered Shri Nikode and told the woman to go up with the help of a rope which was thrown into the well with the end tied to the pully-stand fixed on the parapet wall at the top of the well. Shrimati Kamla being very tired was not in a position to climb and Shri Rathod giving her support assisted her in getting out of the well. One Shri Kisan Shivaji Thakur, with the help of a pully-stand of the well hung himself into the well Shrimati Kamla caught hold of his legs and with the help of other persons assembled around the well, came out.

Shri Deorao Kasan Rathod displayed exemplary courage and promptitude in saving the life of Shrimati Kamla from drowning unmindful of grave danger to his own life in a trying situation.

10. Naik Patare Shivaji Kundlik (No. 2768573)
14 Maratha Light Infantry
C/o 56 A.P.O.

On the 11th August 1984 a girl named Kumari Sudesha Kamble fell into Mula river which was in full spate due to Monsoon. About 500 people assembled on the bank, watched helplessly the drowning girl. Naik Patare Shivaji Kundlik of 14 Maratha Light Infantry, who was on duty and was crossing the narrow bridge over the Mula river in an army vehicle, came to know of the incident. He immediately got out of the vehicle and jumped into the river in full uniform from the bridge. Against heavy odds like strong current, Naik Shivaji Patare, rescued the drowning girl from the swollen river.

Naik Patare Shivaji Kundlik showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning girl unmindful of the risk involved to his own life.

11. Shri Prakash Tukaram Panhale
Mukandraj Society, Ambejogai,
Taluka Ambejogai, District
Beed, Maharashtra.

12. Shri Subhash Yeshwantrao Kulkarni
Police Station Ambejogai,
District Beed, Maharashtra.

On the 17th May, 1984, a boy named Sk. Khairuddin aged 7 years and his sister, Phatunbi aged 12 years were grazing their goats in the field of one Miyabhai and the boy accidentally fell into the well situated in the field and was drowning.

Shri Prakash Tukaram Panhale and Shri Subhash Yeshwantrao Kulkarni, a Police Constable, who are residents of nearby houses heard the hue and cry made by the young girl and immediately rushed to the spot. A number of people had gathered around the well but none dared to rescue the boy. The well was not in use and the water was quite deep. The boy was not visible as the water was not clean. Shri Subhash Kulkarni, without any hesitation, jumped into the well and started searching for the boy. He found it very difficult to locate the boy and shouted for assistance. Shri Prakash Tukaram Panhale at once jumped into the well and went deep into the water, alongwith Shri Subhash Kulkarni. They located the boy, who was by then unconscious, brought him out of water and gave him first aid.

Shri Prakash Tukaram Panhale and Shri Subhash Yeshwantrao Kulkarni showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning boy, in total disregard of the risk involved to their own lives.

13. Kumar Shivjit Sidhu,
26, Queen's Garden,
Pune-411001.

On the 20th May, 1984, Kumar Sameer Kotnis, aged 10 years, fell into the swimming tank of Pune Club and sunk to the bottom. The water level in the tank was 10.5 feet deep. At the time Kumar Shivjit Sidhu and others were swimming in the tank. On noticing the incident, Kumar Sidhu dived to the bottom and found him lying there. He tried to bring the boy upto the water level but failed due to his tender age. He immediately came up and shouted for help. Then with the help of others including a teacher, he rescued the unconscious boy.

Kumar Shivjit Sidhu displayed presence of mind, courage and promptitude in saving he life of Kumar Sameer Kotnis under circumstances of grave danger to his own life.

14. Shri Banwar Lal. (POSTHUMOUS)
S/O Shri Mangal Chand Chaudhury,
Labour Colony,
College Road, Byawar,
Rajasthan.

During 1st June, 1984 to 15th June 1984, an Educational Camp was organised at Mount Abu under the auspices of Byawar Bal Vikas Samiti. Shri Banwar Lal, a student of 10th class in Government Patel Higher Secondary School, Byawar and a President Scout was one of the participants in the camp. One day some students attending the camp went to Naiki lake for bathing and three of them slipped and

fell into the lake. They were struggling for their lives and were drowning. On seeing this, Shri Banwar Lal immediately jumped into the lake and rescued the hapless victims one by one. Unfortunately, before he could get on shore, Shri Banwar Lal was hit by the foot of a student and stumbled into the lake. Due to exhaustion he could not control himself in water and started drowning. A person from the crowd assembled near the site plunged into the lake and brought Shri Banwar Lal ashore. He was administered prompt first-aid but his life could not be saved.

Shri Banwar Lal showed exemplary courage and promptitude in saving three lives but in the process sacrificed his own life.

15. Shri Gurdev Singh,
G/37622-Y Pioneer,
71 Road Construction Coy (GREF)
C/o 99 APO.

On the 18th April, 1984, at 1800 hours, a casual labour, Shri Lanka Main fell into a 500 feet valley in Lawngthlai-Diltlang-Parva Road in South Mizoram. The area is a dense forest infested with snakes and wild animals. Pioner Gurdev Singh, who happened to pass by in a vehicle, noticed the incident and organised a rescue party consisting of himself and other five labourers who were in the vehicle. He, alongwith the other five persons, went down the deep valley unmindful of potential hazards and with great difficulty located the fallen man, who was lying unconscious with serious head injuries. Shri Gurdev Singh used his turban to carry the injured man back to the road surface where he was given medical attention. But unfortunately Shri Lanka Main succumbed to his injuries.

Pioneer Gurdev Singh displayed exemplary courage and promptitude in trying to rescue a life from the deep valley in the face of hazards posed to his own safety.

16. Shri Sampat Wagh
GREF Number 156842 Mechanical
Transport Driver,
574 Independent Transport Platoon,
(General Reserve Engineer Force)
C/o 99 APO.

On the 3rd May, 1984, a GREF vehicle driven by M T Driver Mohan Lal, with 3 more personnel inside, fell down into Teesta river about 165 feet below the road level at the notorious landslide spot called Lukhbir. There was torrential rain and it was pitch dark.

After a little while, another GREF vehicle driven by M T Driver Sampat Wagh, with five others inside, reached the said spot. Unware of the accident, Shri Sampat Wagh stopped the vehicle at the slide area when he found another civil truck standing on the road in front of his vehicle as it could not proceed further due to incessant falling of stones from the hill. After sometime, Shri Sampat Wagh reversed his vehicle to return. The civil truck also reversed and sped off. While reversing Shri Sampat Wagh saw light in the river down below the slide area resembling the head light of a vehicle. He got down from the vehicle, took his torch and tried to locate the vehicle lying in the river. He stepped down from the road to have a clear view of the vehicle and saw it lying in the river. He shouted repeatedly to know whether anybody was alive inside the ill-fated vehicle and after some time he could hear the feeble voice imploring to save.

Meanwhile a civil truck on its way to Siliguri arrived and Shri Wagh requested the driver to show the headlight towards the river to get a clearer view of the vehicle lying in the river. The civil truck driver extended all possible help and also gave a rope with which Shri Wagh tied his vehicle with one end and the other end thrown towards the river side. He also requested the driver of the CRP vehicle, which arrived there in the meantime, to render him necessary assistance to rescue the injured personnel from the river. Duly assisted by he CRP personnel, Shri Wagh got down the vertical hill slope towards the river bed and in the process he slipped and fell but narrowly escaped from falling into the river. After a thorough search he could locate the three seriously injured persons whom he brought back to the road level. One of them succumbed to his injuries later. M T Driver Mohan Lal could not be located inspite of best efforts by Shri Wagh as he was presumably swept away in the river. But for the timely rescue operation by Shri Sampat Wagh all the occupants of the ill-fated vehicle would have lost their lives.

Shri Sampat Wagh showed exemplary courage, determination and promptitude in rescuing the persons trapped inside the ill-fated vehicle, totally unmindful of serious risk involved to his own life.

17. No. 13866874 Sepoy Bhagwan Kashinath Patil
5231 ASC Battalion (MT),
C/o 56 APO.

On the 12th June, 1984, a 2½ years old child fell into the deep and icy Lar Canal which was in spate. A crowd of, about 100 villagers gathered on the banks of the canal and some of them were running along with drifting child shouting for help.

Sepoy Bhagwan Kashinath Patil, who was passing by in his vehicle, saw the pathetic sight and halted his vehicle. He immediately jumped into the canal with full uniform on. He swam towards the drowning child for about 40 yards and managed to grab him and brought him near the bank where the villagers pulled him out. By that time Sepoy Patil had swallowed some water and got exhausted. As a result he could not hold on to the bank of the canal and the forceful water dragged him for another 30 yards. However, he managed once again to reach the bank of the canal and was pulled out by the villagers.

Sepoy Bhagwan Kashinath Patil showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the child from drawning at the risk of his own life.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th January 1986

No. 4/5/85-RCC.—The Speaker has nominated Shri Madhavrao Scindia to be a Member of the Committee to review the rate of dividend payable by Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance *vice* Shri Manvendra Singh resigned from the Committee.

KRISHNAPAL SINGH
Senior Financial Committee Officer

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 4th February 1986

RESOLUTION

F. No. A.11019/1/86-Ad.I.—The Government have decided to constitute, with immediate effect, the "Science Advisory Council to the Prime Minister", with the following Members :—

1. Prof. C.N.R. Rao	.. ..	Chairman
2. Prof. J. V. Narlikar	.. .	Member
3. Dr. P. N. Tandon	.. ..	Member
4. Prof. R. Narasimha	.. ..	Member
5. Dr. A. S. Ganguly	.. ..	Member
6. Dr. Sekhar Raha	.. ..	Member
7. Prof. Madhav Gadgil	.. ..	Member

Dr. V. Sidhartha, presently working in the Office of Scientific Adviser to Raksha Mantri, will function as Secretary of the Council.

2. The Council will be an advisory body. It will advise the Prime Minister on (a) major issues facing Science and Technology today; (b) the health of Science and Technology in the country and the direction in which it should move; and (c) a perspective plan for 2001 A.D. The Council will also look at specific problems with different scientific departments, policies, priorities for research and technology mission, etc.

3. The Council will be serviced by the Department of Science and Technology.

4. The initial term of the Council will be two years.

R. RAJAMANI, Addl. Secy.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 6th February 1986

RESOLUTION

No. 11/2/85-Desk 'C'/Desk 'D'.—The President is pleased to decide that the following amendments be made in the Government of India, Department of Cabinet Affairs Resolution No. 26/7/76-SC dated 1st February, 1977 as amended subsequently by its Resolution No. 26/1/76-EC., dated 9th July, 1976 and Cabinet Secretariat Resolutions No. 26/2/82 CA.III dated 11th November, 1982 and No. 11/2/85-Desk 'C' dated 9th January, 1985 setting up the electronics Commission:—

In paragraph 4(a), *for* the word "seven", the word "eight" may be *substituted*.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK DASGUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 22nd January 1986

RESOLUTION

F. No. E. 11011/20/85-O.L.—In the Resolution No. E. 11011/20/85-O.L. dated 20th November, 1985 reconstituting the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Revenue & Expenditure, issued by this Department and published in Part-I, Section I of the Gazette of India, dated 14-12-85 at page 884 (English) the following amendments shall be made therein viz.:—

The existing entries No. "3-Smt. D. K. Thara Devi, Member, Lok Sabha" and "15-Shri U.C. Aggarwal, Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-110023" shall be substituted by the following, viz.

"3.-Km. D. K. Thara Devi,
Member, Lok Sabha".
and

"15-Shri M. Subramanian, Pradhan,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-
110023" respectively.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to:—

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor-General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. SALDHANHA, Addl. Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 1986

RESOLUTION

No. 11011/21/85-H.I.C.—In the context of the Resolution No. 11011/2/85-HIC dated 30th March, 1985 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, which was published under Part-I, Section-1 of the Gazette of India issue dated 27-4-1985 following amendments shall be made viz :—

(1) At S. Nos. 7 and 8 of the resolution names of S/Shri B. V. Desai, M.P. and Jagdambi Prasad Yadav, M.P. respectively shall be added.

Above mentioned members have been nominated as their representative by the Committee of Parliament of O.L. in the Hindi Salhakar Samiti of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (including Banking & Insurance).

(2) At S. No. 11 of the resolution mentioned above for existing entry "11. Prof. Kailash Nath Bhatia" following entry shall be made :—
"11. Prof. Kailash Chander Bhatia".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, All Members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

J. L. BAJAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 5th February 1986

No. F. 10-3/85-U-5.—Under Rules 3, 6 and 10 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, the Government of India hereby nominates Shri S. S. Verma, Secretary, Ministry of Welfare as a member of the Council *vice* Miss Roma Mazumdar for the residual term of Miss Roma Mozumdar, i.e., upto 19th December, 1986.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 1986

RESOLUTION

Subject :—Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore-Setting up of.

No. F. 8-14/85-DIV(L).—In partial modification of the Resolution No. F. 8-14/85-D. 4(L) dated 11th December, 1985 published in the Gazette of India regarding setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating its programmes and projects, the Government of India hereby to revise the Entry No. 12 of the Composition and Tenure of the Committee as under :—

"As matters relating to the Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been transferred from the Ministry of Home Affairs to the newly constituted Ministry of Welfare, the entry against item No. 12 may be reworded as under :—

"12. Joint Secretary (Tribal Development) Ministry of Welfare".

2. Other terms and conditions set out in this Ministry's Resolution No. F. 8-14/85-D. 4(L) dated 11th December, 1985 remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, New Delhi, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. MALHOTRA, Asstt. Educational Adiser

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi-110 011, the 18th October 1985

RESOLUTION

No. P-III-26(2)/75.—In the erstwhile Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Supply) Resolution No. P-III-26(2)/75 dated 3rd June, 1981 the following further amendment may be carried out :—

"In para 1 the following may be added as item (vii)(B) :—

(vii) (B) One representative from the NATIONAL ALLIANCE OF YOUNG ENTREPRENEURS".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all the members of the Central Purchase Advisory Council and all the Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

C. N. RAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th February 1986

No. Q-16012/1/85-WE(NLI).—WHEREAS reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. Q-16012/1/85-WE(NLI) dated 22-11-85.

NOW in the said Notification, the following deletions/changes may be made :—

1. Serial No. 2 and the entry against that shall be deleted.
2. Against Serial No. 26 and 27 for the existing entries viz :

26. Secretary,
Ministry of Home Affairs,
(Department of Personnel & Training),
New Delhi.

27. Secretary,
Ministry of Rural Reconstruction,
New Delhi.

the following entries shall be substituted :

26. Secretary,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension,
(Department of Personnel and Training),
New Delhi.

27. Secretary,
Ministry of Agriculture,
(Department of Rural Development),
New Delhi.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986